

कार्यालय-ज्ञाप

देहरादून : दिनांक : 19 अप्रैल, 2025

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 के अधीन कारागार मुख्यालय के कार्यालय ज्ञाप संख्या-165/स-39/स्था0अधि0-2017/2025, दिनांक 25 मार्च, 2025 द्वारा अवधारित कारागार विभाग के सुगम/दुर्गम क्षेत्रों एवं वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-9 के अन्तर्गत उपलब्ध एवं संभावित रिक्तियों के आधार पर निम्न कार्मिक उनके नाम के सम्मुख कॉलम-5 पर अंकित सुगम/दुर्गम क्षेत्र में अनिवार्य स्थानान्तरण के हेतु पात्र पाये गये हैं। सूची में अंकित ऐसे कार्मिक जो दुर्गम क्षेत्र की कारागारों में अनिवार्य स्थानान्तरण हेतु पात्र है, से 04 दुर्गम क्षेत्रों तथा ऐसे कार्मिक जो सुगम क्षेत्र की कारागारों में अनिवार्य स्थानान्तरण हेतु पात्र है, से 06 सुगम क्षेत्रों में स्थानान्तरण हेतु विकल्प कार्यालयाध्यक्ष के माध्यम से दिनांक 15 मई, 2025 तक आमंत्रित किये जाते हैं :-

क्र० स०	कार्मिक का नाम	पदनाम	तैनाती कारागार का नाम	स्थानान्तरण हेतु पात्रता सुगम/दुर्गम	इच्छित सुगम/ दुर्गम स्थानों हेतु विकल्प
1	2	3	4	5	6
1	श्री ध्रुव प्रसाद सिन्हा	कारापाल	जि०का० पौड़ी	वरिष्ठ कार्मिक/अनिवार्य सुगम	
2	श्री संजीव सिंह हयांकी	कारापाल	जि०का० नैनीताल	अनिवार्य दुर्गम	
3	श्री रामेश्वर सिंह राणा	उप कारापाल	जि०का० टिहरी	वरिष्ठ कार्मिक/अनिवार्य सुगम	
4	श्री प्यारे लाल आर्या	उप कारापाल	स०शि० सितारगंज	अनिवार्य दुर्गम	
5	श्री कुंवर पाल सिंह	उप कारापाल	स०शि० सितारगंज	अनिवार्य दुर्गम	
6	श्री डुवर राम	फार्मासिस्ट	जि०का० चमोली	अनिवार्य सुगम	
7	श्री नवीन पपनै	फार्मासिस्ट	स०शि० सितारगंज	अनिवार्य दुर्गम	
8	श्री रतिमान सिंह	प्रधान बंदीरक्षक	जि०का० अल्मोड़ा	अनिवार्य सुगम	
9	श्री सलीम खॉ	प्रधान बंदीरक्षक	जि०का० अल्मोड़ा	अनिवार्य सुगम	
10	श्री विजय कुमार	प्रधान बंदीरक्षक	जि०का० अल्मोड़ा	अनिवार्य सुगम	
11	श्री दीपक प्रसाद	प्रधान बंदीरक्षक	जि०का० चमोली	अनिवार्य सुगम	
12	श्री सुनील कुमार	प्रधान बंदीरक्षक	जि०का० पौड़ी	अनिवार्य सुगम	
13	श्री मुकुल	प्रधान बंदीरक्षक	जि०का० पौड़ी	अनिवार्य सुगम	
14	श्री महेन्द्रपाल सिंह	प्रधान बंदीरक्षक	जि०का० टिहरी	अनिवार्य सुगम	
15	श्री अजहर अब्बास	प्रधान बंदीरक्षक	जि०का० टिहरी	अनिवार्य सुगम	
16	श्री रमेश कुमार भाती	प्रधान बंदीरक्षक	जि०का० नैनीताल	अनिवार्य दुर्गम	
17	श्री अजय कुमार	प्रधान बंदीरक्षक	जि०का० हरिद्वार	अनिवार्य दुर्गम	
18	श्री दर्शन सिंह रावत	प्रधान बंदीरक्षक	जि०का० हरिद्वार	अनिवार्य दुर्गम	
19	श्री राकेश कुमार	प्रधान बंदीरक्षक	जि०का० देहरादून	अनिवार्य दुर्गम	
20	श्री गुलशन कुमार आर्य	प्रधान बंदीरक्षक	जि०का० नैनीताल	अनिवार्य दुर्गम	
21	मो० इमरान	प्रधान बंदीरक्षक	उ०का० रुड़की	अनिवार्य दुर्गम	
22	कु० रिकी	महिला प्रधान बंदीरक्षक	जि०का० अल्मोड़ा	अनिवार्य सुगम	
23	श्रीमती आशा मेहता	महिला प्रधान बंदीरक्षक	उ०का० हल्द्वानी	अनिवार्य दुर्गम	
24	श्रीमती पूजा	महिला प्रधान बंदीरक्षक	जि०का० हरिद्वार	अनिवार्य दुर्गम	
25	श्री प्रशान्त कुमार	बंदीरक्षक	जि०का० पौड़ी	अनिवार्य सुगम	
26	श्री रविन्द्र सिंह रावत	बंदीरक्षक	जि०का० चमोली	अनिवार्य सुगम	
27	श्री अंकित कुमार	बंदीरक्षक	जि०का० टिहरी	अनिवार्य सुगम	
28	श्री नरेन्द्र सिंह	बंदीरक्षक	जि०का० पौड़ी	अनिवार्य सुगम	
29	श्री सुन्दर सिंह	बंदीरक्षक	जि०का० चमोली	अनिवार्य सुगम	
30	श्री अमित कुमार	बंदीरक्षक	जि०का० टिहरी	अनिवार्य सुगम	
31	श्री महेन्द्र कुमार	बंदीरक्षक	जि०का० पौड़ी	अनिवार्य सुगम	
32	श्री सुमित सिंह	बंदीरक्षक	जि०का० टिहरी	अनिवार्य सुगम	
33	श्री अनिश पाल सिंह	बंदीरक्षक	जि०का० टिहरी	अनिवार्य सुगम	
34	श्री देवेन्द्र सिंह रावत	बंदीरक्षक	जि०का० पौड़ी	अनिवार्य सुगम	
35	श्री पुष्पेन्द्र सिंह	बंदीरक्षक	जि०का० पौड़ी	अनिवार्य सुगम	
36	श्री हरीश कुमार	बंदीरक्षक	जि०का० अल्मोड़ा	अनिवार्य सुगम	
37	श्री जितेन्द्र पाल सिंह	बंदीरक्षक	जि०का० हरिद्वार	अनिवार्य दुर्गम	

38	श्री नवीन सिंह कनवाल	बंदीरक्षक	जि0का0 हरिद्वार	अनिवार्य दुर्गम	
39	श्री प्रमोद सिंह	बंदीरक्षक	जि0का0 हरिद्वार	अनिवार्य दुर्गम	
40	श्री कवि भण्डारी	बंदीरक्षक	जि0का0 देहरादून	अनिवार्य दुर्गम	
41	श्री शाहेबान अली	बंदीरक्षक	जि0का0 देहरादून	अनिवार्य दुर्गम	
42	श्री महेश सिंह पयाल	बंदीरक्षक	जि0का0 देहरादून	अनिवार्य दुर्गम	
43	श्री प्रदीप सिंह नेगी	बंदीरक्षक	जि0का0 देहरादून	अनिवार्य दुर्गम	
44	श्री दीपक सागर	बंदीरक्षक	जि0का0 नैनीताल	अनिवार्य दुर्गम	
45	श्री मोहिन्द्र सिंह बोरा	बंदीरक्षक	जि0का0 नैनीताल	अनिवार्य दुर्गम	
46	श्री प्रशान्त भट्ट	बंदीरक्षक	जि0का0 नैनीताल	अनिवार्य दुर्गम	
47	श्री संदीप थुवाल	बंदीरक्षक	उ0का0 हल्द्वानी	अनिवार्य दुर्गम	
48	श्री गोविन्द राम	बंदीरक्षक	उ0का0 हल्द्वानी	अनिवार्य दुर्गम	
49	श्री मनोज कुमार पुत्र श्री नेत्र बल्लभ	बंदीरक्षक	उ0का0 हल्द्वानी	अनिवार्य दुर्गम	
50	श्री शूरवीर सिंह	बंदीरक्षक	उ0का0 रुड़की	अनिवार्य दुर्गम	
51	श्री आशीष सिंह बिष्ट	बंदीरक्षक	उ0का0 रुड़की	अनिवार्य दुर्गम	
52	श्री गिरीश शर्मा	बंदीरक्षक	उ0का0 रुड़की	अनिवार्य दुर्गम	
53	श्री दीपक चन्द्र भट्ट	बंदीरक्षक	स0शि0 सितारगंज	अनिवार्य दुर्गम	
54	श्री नवीन चन्द्र	बंदीरक्षक	स0शि0 सितारगंज	अनिवार्य दुर्गम	
55	श्री राजेन्द्र सिंह मेहता	बंदीरक्षक	स0शि0 सितारगंज	अनिवार्य दुर्गम	
56	श्री मोहन सिंह रौतेला	चौकीदार	जि0का0 अल्मोडा	अनिवार्य सुगम	
57	श्री विजय सिंह चौहान	चौकीदार	स0शि0 सितारगंज	अनिवार्य दुर्गम	
58	श्री कैलाश बाबू	स्वच्छकार	जि0का0 अल्मोडा	अनिवार्य सुगम	
59	श्री राजेन्द्र प्रसाद	स्वच्छकार	जि0का0 हरिद्वार	अनिवार्य दुर्गम	
60	श्री शिवकुमार	सिविलियन	जि0का0 चमोली	वरिष्ठ कार्मिक/अनिवार्य सुगम	
61	श्री विकास शुक्ला	सिविलियन	स0शि0 सितारगंज	अनिवार्य दुर्गम	

स्थानान्तरण अधिनियम में प्रत्येक प्रक्रिया हेतु तिथि निर्धारित की गयी है, अतः उक्त निर्धारित तिथि 15 मई, 2025 के पश्चात् प्राप्त विकल्पों पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।

वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-13 के अन्तर्गत अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण हेतु निम्न पात्रता के कार्मिकों से भी विकल्प दिनांक 15 मई, 2025 तक आमंत्रित किये जाते हैं :-

- (1) सुगम क्षेत्र से दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरण हेतु कोई भी कार्मिक आवेदन हेतु पात्र होगा।
- (2) दुर्गम कार्यस्थल में न्यूनतम 03 वर्ष अथवा सम्पूर्ण सेवाकाल में दुर्गम क्षेत्र में 10 वर्ष की सेवा पूर्ण करने के आधार पर सुगम क्षेत्र में स्थानान्तरण हेतु पात्र कार्मिक दुर्गम क्षेत्र में ही स्थानान्तरण हेतु अनुरोध कर सकेगा, किन्तु स्थानान्तरण हेतु इच्छुक स्थान उसके गृह विकास खण्ड के बाहर हो और ठीक पूर्व की तैनाती के स्थल पर ऐसे कार्मिक की भविष्य में पुनः तैनाती 06 वर्ष से पूर्व के अन्तराल पर नहीं की जायेगी।
- (3) उत्तराखण्ड सरकार की सेवा में कार्यरत पति-पत्नी सुगम अथवा दुर्गम क्षेत्र में एक ही स्थान पर तैनाती हेतु इच्छुक हों तो वे तदनुसार सुगम अथवा दुर्गम क्षेत्र में एक स्थान पर तैनाती हेतु अनुरोध करने के पात्र होंगे। किन्तु ऐसी तैनाती के उपरान्त जब भी पति/पत्नी किसी कार्य स्थल पर 05/03 वर्ष अथवा सेवाकाल कुल 10 वर्ष के सेवाकाल सम्बन्धी मानक पूर्ण करेंगे, तब पति-पत्नी यथा लागू सामान्य स्थानान्तरण के पात्र हो जायेंगे।
- (4) कार्मिक स्वयं अपनी अथवा पति/पत्नी (यथा लागू) अधिनियम की धारा-3 के खण्ड (घ) में यथानिर्दिष्ट गम्भीर रोगग्रस्ता/विकलांगता के आधार पर ऐच्छिक क्षेत्र/स्थान में अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण हेतु आवेदन करने हेतु पात्र होंगे।
- (5) मानसिक रूप से विक्षिप्त अथवा ऐसे रोगग्रस्त बच्चे जो पूर्णतः लाचार हैं तथा देखभाल/नित्यक्रिया आदि के लिए पूर्णतः माता-पिता पर निर्भर हैं, ऐसी दशा में उनके माता-पिता मेडिकल बोर्ड के एतद्विषयक प्रमाण-पत्र के आधार पर अपने बच्चे की चिकित्सा की समुचित व्यवस्था के लिए दुर्गम से सुगम अथवा सुगम से दुर्गम क्षेत्र/स्थान में स्थानान्तरण के अनुरोध करने हेतु पात्र होंगे।
- (6) विधवा, विधुर, सक्षम न्यायालय के आदेश से घोषित परित्यक्ता एवं तलाकशुदा तथा वरिष्ठ कार्मिक (55 वर्ष की आयु) अनुरोध के आधार पर ऐच्छिक क्षेत्र में स्थानान्तरण हेतु आवेदन करने के पात्र होंगे।

19/4/2025
(दधिराम)

उप महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवा विभाग,
उत्तराखण्ड।



मुख्यालय, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवा विभाग, उत्तराखण्ड

पृष्ठांकन संख्या : 373 /स-39/स्था0अधि0-2017/2025, दिनांक- 19 अप्रैल, 2025

- (1) प्रतिलिपि, समस्त वरिष्ठ अधीक्षक/अधीक्षक, कारागार विभाग, उत्तराखण्ड को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वे उक्त सूची को कारागार के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करें तथा उक्तानुसार अपने अधीनस्थ कार्मिकों से इच्छित विकल्प प्राप्त कर संकलित सूचना निर्धारित तिथि तक मुख्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।
- (2) प्रतिलिपि, निदेशक, एन0आई0सी0 सचिवालय, देहरादून को उत्तराखण्ड सरकार की वेबसाइट में प्रकाशनार्थ प्रेषित।
- (3) प्रभारी विभागीय वेबसाइट, कारागार मुख्यालय को विभागीय वेबसाइट में प्रकाशार्थ प्रेषित।

(दधिराम)
उप महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवा विभाग,
उत्तराखण्ड।